सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 07/2021 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2021/285)

पीठासीन अधिकारीः—श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. गोविन्दलाल पुत्र रामचन्द —मृतक
1/1. नरेश
1/2. सुनील
1/3. गुलशन
(1/1 से 1/3 तक: पुत्रगण स्व.गोविन्दलाल)
2. मनोहरलाल पुत्र रामचन्द

(सभी: जातियान खत्री नि0 ग्राम खोह तहसील व जिला डीग(राज.))

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 06.02.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2266/0.50, वाके ग्राम खोह तहसील डीग में स्थित है। हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 2338मिन रकबा 2 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम खोह तहसील डीग के बदले में बनाया गया है। उक्त गत खसरा नम्बर 2338 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा में प्रार्थीगण का पिता रामचन्द पुत्र हरदयाल रकबा 1 बीघा 13 विस्वा का गैर खातेदार काश्तकार था तथा रकबा 8 विस्वा का रामदास पुत्र हरदयाल गैर खातेदार काश्तकार काबिज था। प्रार्थीगण के पिता रामचन्द पुत्र हरदयाल की मृत्यु हो चुकी है और उसकी आराजी पर प्रार्थीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थीगण के पिता रामचन्द पुत्र हरदयाल को उक्त आराजी वसमूल अन्य आराजी कस्टोडियन भूमि के रूप में आवंटित हुई थी जिसके बाद प्रार्थी के पिता ने दिनांक 03.01.1979 को मैनेजिंग ऑफीसर कार्यालय तहसीलदार डीग के समक्ष उक्त आराजी की कीमत जमा कराने पर प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में सनद जारी की गई,उक्त सनद के आधार पर जरिये नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.06.1981को प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में नामा0 बावत गैर ख़ातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया जिसे अप्रार्थी तहसीलदार डीग द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.06.1981 को प्रार्थीगण के पिता रामचन्द पुत्र हरदयाल को खातेदार दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। सन 1981 में तहसील डीग में बन्दोवस्त की प्रक्रिया चल रही थी इसलिए बन्दोवस्त विभाग द्वारा खसरा पत्रक में मुताविक नामा0 संख्या 75 गत खसरा नम्बर 2338 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा मिन से बने नवीन खसरा नम्बर 2266/0.50 में मुताविक हिस्सा प्रार्थीगण के पिता रामचन्द पुत्र हरदयाल को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कर दिया लेकिन उक्त खसरा नम्बर पत्रक के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज समस्त आराजीयात मुताविक सनद सिवाय खसरा नम्बर 2266/0.50 के

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी इन्द्राज दर्ज कर दिये लेकिन त्रुटि के कारण प्रार्थीगण के पिता के नाम खसरा नम्बर 2266/0.50 में हिस्सा 5/13 को गैर खातेदार दर्ज रखा जबकि मुताविक सनद नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.06.1981 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता को उक्त खसरा नम्बर 2266/0.50 के हिस्सा 5/13 पर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था जोकि एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 2266/0.50 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 2266/0.50 वाके ग्राम खोह तहसील डीग के हिस्सा 5/13 पर प्रार्थीगण को गैर खातेदार के स्थान पर मुताविक नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.06.1981 खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2021/1927 दिनांक 27.05.2021 में अंकित किया गया है कि "राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सेरीग्रेशन सम्बत 2073 से 2076 के खाता संख्या 185 पर खसरा नम्बर हाल 2266 रकबा 0.50 हैक्टे0 किस्म बारानी प्रथम पर कमलेश पत्नी खैरातीलाल हि0 1/78 कौशल्या देवी पत्नी रामदास हि0 2/39 भावना पुत्री खैरातीलाल हि0 1/78 मुकेश पुत्र खैरातीलाल हि0 1/78 मौनू पुत्री खैरातीलाल हि0 1/78 राधेश्याम पुत्र हरदयाल हि0 4/13 संजीव पुत्र रामदास हि0 2/39 सुदेश कुमारी पुत्री रामदास हि. 2/39 कॉम खत्री सा0 खोह खातेदार सरोज पुत्री रामदास हि0 2/39, हरीओम पुत्र रामदास हि0 2/39 एवं गोविन्दलाल पुत्र रामचन्द हि0 5/26 मनोहरलाल पुत्र रामचन्द हि0 5/26 कॉम खत्री सा0 खोह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उनवानी प्रकरण में जो गैर खातेदार दर्ज है वो रिकार्ड में कस्टोडियन सनद के आधार पर खातेदार दर्ज कराना चाहता है जिसमें रिकार्ड का अवलोकन करने पर संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.50 हैक्टे0,गत खसरा नम्बर 2238 मिन 21 अर्थात 2 वीघा 9 विस्वा से बन्दोवस्त विभाग द्वारा बनाया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी का हाल खसरा नम्बर गत रकबा के मुकावले हाल रकबा 0.39 हैक्टे0 बनना था, होना चाहिए था जो हाल रकबा 0.50 हैक्टे0 का हाल खसरा नम्बर बनाया गया है। सनद के अनुसार प्रार्थी के गत रकबा के अनुसार हाल रकबा में खातेदार दर्ज किये जा चुके है। शेष वेशी रहे रकबा में उक्त प्रार्थीगणों को गैर खातेदार अंकित किया गया है मौके पर जानकारी की गई मौके पर जमाबन्दी में अंकित काश्तकारों का ही कब्जा काश्त है। मौके पर उक्त आराजी कृषि कार्य के काम आ रही है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2266/0.50 वाके ग्राम खोह तहसील डीग के हिस्सा 5/13 पर प्रार्थीगण को गैर खातेदार के स्थान पर मुताविक नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.06.1981 खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र,जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2028 जिसमें साविक खसरा नम्बर 2338 मिन रकबा 1वीघा 13 विस्वा पर रामचन्द पुत्र हरदयाल कॉम खत्री सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.06.1981 पर स्वीकृति आदेश रामचन्द को 34 वीघा 17 विस्वा पर खातेदार दर्ज किया जावे। तहसीलदार डीग द्वारा दिनांक 03.01.1979 को रामचन्द पुत्र हरदयाल जाति खत्री नि0 खोह के पक्ष में जारी की गई सनद जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

साविक खसरा नम्बर 2338 किस्म बारानी रकबा 1 वीघा 13 विस्वा पर कीमतन खातेदारी दी गई है का अवलोकन किया। रामचन्द के पक्ष में सनद जारी होने एवं नामा0 संख्या 75 स्वीकृत होने के बाद रामचन्द के नाम खातेदारी दर्ज की जानी थी। मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 के अनुसार खसरा नम्बर 2338 मिन रकबा 1 वीघा 13 विस्वा, 2338 मिन रकबा 8 विस्वा, 2338 मिन रकबा 8 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 2266रकवा 0.50 हैक्टेयर बनाया गया है जिसमें रामचन्द पुत्र हरदयाल का सम्पूर्ण खसरा नम्बर 2338 मिन रकवा 1वीघा 13 विस्वा शामिल है। नकल मिसल हकीयत सम्बत 2041 के खाता संख्या 121 पर खसरा नम्बर 2266 में रामचन्द पुत्र हरदयाल 40/104 कॉम खत्री सा0 देह गैर खातेदार दर्ज किया गया है जबकि नामा0 संख्या 75 के बाद उसे खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। रामचन्द पुत्र हरदयाल फौत हो गये है। उनके वारिसान गोविन्दलाल पुत्र रामचन्द,मनोहरलाल पुत्र रामचन्द जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 में 5/26, 5/26 हिस्से पर गैर खातेदार दर्ज है जिनको खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। तहसीलदार डीग की धारा 136 के सम्बन्ध में रिपोर्ट भ्रामक है कि प्रार्थी वेशी रकवे पर गैर खातेदार दर्ज है जबकि मिसल हकीयत सम्बत 2041 में रामचन्द पुत्र हरदयाल का हिस्सा 40/104 का रकबा व जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 में उनके वारिसान गोविन्द,मनोहरलाल का हिस्सा 5/26, 5/26 समान है। प्रार्थी वेशी रकवे पर खातेदारी नहीं मांग रहे है बल्कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा नामा0 संख्या 75 से खातेदारी अधिकार मिलने के बाद भी गैर खातेदार के इन्द्राजात की शुद्वि कराना चाहते है। वकील प्रार्थी की बहस एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.50 स्थित ग्राम खोह तहसील डीग के हिस्सा 5/13 पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। मुताविक नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.06.1981 प्रार्थीगण को नवीन आराजी खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.50 वाके ग्राम खोह तहसील डीग के खातेदार दर्ज किये जाने तथा नरेश,सुनील,गुलशन पुत्रगण गोविन्दलाल हिस्सा बरावर 5/26 खातेदार, तथा मनोहरलाल पुत्र रामचन्द हिस्सा 5/26 गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.